

12.58 hrs

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF
PROFIT

SECOND REPORT

SHRI D BASUMATARI (Kokrajhar) : I beg to present the Second Report of the Joint Committee on Office of Profit on the Draft Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 1971

DISTURBED AREAS (SPECIAL COURTS)
BILL*

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOSHIN) On behalf of Shri Ram Niwas Mirdha, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the speedy trial of certain offences in certain areas and for matters connected therewith

MR. SPEAKER . The question is

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the speedy trial of certain offences in certain areas and for matters connected therewith"

The motion was adopted

SHRI F. H. MOSHIN I introduce the Bill.

CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL*

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOSHIN) On behalf of Shri Ram Niwas Mirdha, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1898 and the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

MR. SPEAKER . Motion moved

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1898 and the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967."

श्री अटक बिहारि बाजपेयी (ब्याकियर) . अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के पेश किये जाने का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैंने आप की सुचना दी है, मैं इस समय विधेयक के ब्योरे में नहीं जा रहा हूँ, इसके गुण और दोषों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ यद्यपि मैं जानता हूँ कि यह विधेयक बड़ा शरारतपूर्ण है और यह साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिये नहीं लाया जा रहा है, यह मुस्लिम संगठनों के विरुद्ध नहीं है। इसके अन्तर्गत केवल हिन्दू संगठनों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी, इसके विरुद्ध हम सदन में भी लड़ेंगे और बाहर भी लड़ेंगे।

लेकिन यहाँ मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। एक तरीका बन गया है—आप द्वारा दिये गये निर्देशों और सदन द्वारा पारित नियमों के खिलाफ भवियों को विधेयक पेश करने की इजाजत देने का/आप डायरेक्शन्स के नियम 19(ए) को देखें—

"A Minister desiring to move for leave to introduce a Bill shall give notice in writing of his intention to do so"

आगे कहा गया है—

"at least seven days "

अर्थात् इसके लिये सात दिन का नोटिस होना चाहिये।

अब इस विधेयक को मैंने देखा—इस पर श्री आर० एन० मिर्धा जी के दस्तखत हैं और दस्तखत के साथ 27 मई की तारीख दी गई है। स्पष्ट है कि सात दिन का नोटिस पूरा नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय . इसे मैंने एलाउ किया है।

श्री अटक बिहारि बाजपेयी : अगर आप एलाउ करते जा रहे हैं तो फिर ये नियम बनाये क्यों गये हैं। यदि आप अपने, अधिकारों का इस तरह से उपयोग करेंगे तो नियमों की यह पुस्तिका रही की टोकरी में फँकने लायक हो जायगी। अभी उस दिन आने में शिष्टा मंत्री जी को विधेयक